

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(9)नविवि/2020 पार्ट-IV

जयपुर, दिनांक: 27 FEB 2024

आदेश

मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के विनियम संख्या-14 के तहत स्वतंत्र आवास के भवनों को छोड़कर अन्य सभी भवनों तथा फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट में सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शारीरिक रूप से विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु प्रावधान किये गये हैं। अतः RPWD Act, 2016 के अन्तर्गत मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के विनियम-14 " विशेष योग्यजनों के लिए विशेष सुविधा" की अनुपालना की सुनिश्चितता उपरान्त ही कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जावे।

आज्ञा से,



(जुगल किशोर मीणा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
4. सचिव, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर /कोटा/उदयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/ जोधपुर /अजमेर/कोटा/उदयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त-----।
7. उपायुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, जी 3/1-ए, विशेष योग्यजन भवन, होटल राजमहल रेजिडेंसी ऐरिया, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
8. पंजीकृत वास्तुविद, समस्त.....।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-प्रथम